रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 2006/कार्तिक 5, 1928
No. 524] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2006/KARTIKA 5, 1928

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 674(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967(1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार पासपोर्ट नियमावली, 1980 में संशोधन लाने के लिए आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:

1. (1) इन नियमों का नाम पासपोर्ट (संशोधन) नियमावली, 2006 होगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची-I में क्रम सं. 6(ii) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित क्रमों तथा प्रविष्टियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

क्रम सं.	पासपोर्ट प्राधिकारी	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
6(ii)(क)	पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, कोझिकोड	केरल राज्य के वायानाड, कोझिकोड, कन्नौर और कासारगॉड जिले
(ख)	सहायक पासपोर्ट अधिकारी, (पासपोर्ट कार्यालय, कोझिकोड)	वही
(ग)	जनसंपर्क अधिकारी, (पासपोर्ट कार्यालय, कोझिकोड)	वही
(घ)	अधीक्षक, (पासपोर्ट कार्यालय, कोझिकोड)	वही
6(iii)(क)	पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट कार्यालय, मल्लापुरम	केरल राज्य के मल्लापुरम और पालाक्कड जिले
(ख)	जनसंपर्क अधिकारी, (पासपोर्ट कार्यालय, मल्लापुरम)	वही
(ग)	अधीक्षक, (पासपोर्ट कार्यालय, मल्लापुरम)	वही

[फा. सं. V. IV/551/18/2006]

आर.आर. दास, संयुक्त सचिव (सीपीवी)

टिप्पणी :— मुख्य नियम दिनांक 11 दिसंबर, 1980 के सा.का.नि.691(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् उनमें निम्नानुसार संशोधन किया गया :-

(i) सा.का.नि. 50(अ), दिनांक 7-2-1981
(ii) सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 10-6-1981
(iii) सा.का.नि. 469(अ), दिनांक 24-6-1982
(iv) सा.का.नि. 325(अ), दिनांक 12-4-1983
(v) सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 13-6-1983
(vi) सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 16-6-1983
(vii) सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 29-3-1985
(viii) सा.का.नि. 860(अ), दिनांक 8-11-1985
(ix) सा.का.नि. 857(अ), दिनांक 13-10-1987
(x) सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 11-2-1988
(xi) सा.का.नि. 1155(अ), दिनांक 21-11-1988
(xii) सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 27-7-1990
(xiii) सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 20-7-1990
(xiv) सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 4-3-1991
(xv) सा.का.नि. 275(अ), दिनांक 20-3-1991
(xvi) सा.का.नि. 586(अ), दिनांक 21-6-1991
(xvii) सा.का.नि. 111(अ), दिनांक 22-1-1992
(xviii) सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 15-6-1992
(xix) सा.का.नि. 721(अ), दिनांक 7-8-1992
(xx) सा.का.नि. 477(अ), दिनांक 16-6-1993
(xxi) सा.का.नि. 485(अ), दिनांक 1-7-1993
(xxii) सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 10-7-1993
(xxiii) सा.का.नि. 833(अ), दिनांक 2-12-1994
(xxiv) सा.का.नि. 592(अ), दिनांक 7-8-1995
(xxv) सा.का.नि. 491(अ), दिनांक 28-8-1997
(xxvi) सा.का.नि. 605(अ), दिनांक 5-10-1998
(xxvii) सा.का.नि. 516(अ), दिनांक 8-7-1999
(xxviii) सा.का.नि. 827(अ), दिनांक 29-12-1999
(xxix) सा.का.नि. 34(अ), दिनांक 12-1-2000
(xxx) सा.का.नि. 473(अ), दिनांक 22-5-2000
(xxxi) सा.का.नि. 485(अ), दिनांक 23-5-2000
(xxxii) सा.का.नि. 529(अ), दिनांक 8-6-2000
(xxxiii) सा.का.नि. 584(अ), दिनांक 4-7-2000
(xxxiv) सा.का.नि. 632(अ), दिनांक 25-7-2000
(xxxv) सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 26-6-2001
(xxxvi) सा.का.नि. 527(अ), दिनांक 9-7-2001
(xxxvii) सा.का.नि. 576(अ), दिनांक 27-7-2001
(xxxviii) सा.का.नि. 817(अ), दिनांक 29-10-2001
(xxxix) सा.का.नि. 879(अ), दिनांक 4-12-2001 और
(xxxx) सा.का.नि. 417(अ), दिनांक 29-5-2002

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2006

G.S.R. 674(E).—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Passport Rules, 1980, for serial No. 6 (ii) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

S. No.	Passport Authorities	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
6(ii)(a)	Passport Officer, Passport Office, Kozhikode	The Districts of Wayanad, Kozhikode, Kannaur and Kasargod of the State of Kerala.
(b)	Assistant Passport Officer, (Passport Office, Kozhikode)	—do—
(c)	Public Relations Officer, (Passport Office, Kozhikode)	—do—
(d)	Superintendent, (Passport Office, Kozhikode)	—do—
6(iii)(a)	Passport Officer, Passport Office, Malappuram	The Districts of Malappuram and Palakkad in the State of Kerala.
(b)	Public Relations Officer, (Passport Office, Malappuram)	—do—
(c)	Superintendent, (Passport Office, Malappuram)	—do—

[F. No. V.IV/551/18/2006]

R. R. DASH, Jt. Secy. (CPV)

IndiaCode

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 11th December, 1980, and subsequently amended *vide* :—

(i) GSR 50(E), dated 7-2-1981
(ii) GSR 494(E), dated 10-6-1981
(iii) GSR 469(E), dated 24-6-1982
(iv) GSR 325(E), dated 12-4-1983
(v) GSR 482(E), dated 13-6-1983
(vi) GSR 494(E), dated 16-6-1983
(vii) GSR 345(E), dated 29-3-1985
(viii) GSR 860(E), dated 8-11-1985
(ix) GSR 857(E), dated 13-10-1987
(x) GSR 84(E), dated 11-2-1988
(xi) GSR 1155(E), dated 21-11-1988
(xii) GSR 622(E), dated 27-7-1990
(xiii) GSR 653(E), dated 20-7-1990
(xiv) GSR 100(E), dated 4-3-1991
(xv) GSR 275(E), dated 20-3-1991
(xvi) GSR 586(E), dated 21-6-1991
(xvii) GSR 111(E), dated 22-1-1992
(xviii) GSR 684(E), dated 15-6-1992
(xix) GSR 721(E), dated 7-8-1992
(xx) GSR 477(E), dated 16-6-1993
(xxi) GSR 485(E), dated 1-7-1993
(xxii) GSR 503(E), dated 10-7-1993
(xxiii) GSR 833(E), dated 2-12-1994
(xxiv) GSR 592(E), dated 7-8-1995
(xxv) GSR 491(E), dated 28-8-1997
(xxvi) GSR 605(E), dated 5-10-1998
(xxvii) GSR 516(E), dated 8-7-1999
(xxviii) GSR 827(E), dated 29-12-1999
(xxix) GSR 34(E), dated 12-1-2000
(xxx) GSR 473(E), dated 22-5-2000
(xxxi) GSR 485(E), dated 23-5-2000
(xxxii) GSR 529(E), dated 8-6-2000
(xxxiii) GSR 584(E), dated 4-7-2000
(xxxiv) GSR 632(E), dated 25-7-2000
(xxxv) GSR 482(E), dated 26-6-2001
(xxxvi) GSR 527(E), dated 9-7-2001
(xxxvii) GSR 576(E), dated 27-7-2001
(xxxviii) GSR 817(E), dated 29-10-2001
(xxxix) GSR 879(E), dated 4-12-2001; and
(xxxx) GSR 417(E), dated 29-5-2002

Indiacode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.